



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24112022-240553  
CG-MH-E-24112022-240553

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]  
No. 606]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 24 नवम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/108.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ङ) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम उस तारीख को लागू होंगे, जो बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित करे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में,-
  - I. विनियम 2 में,
    - i. उप-विनियम (1) में,
      - क. खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(झ) “प्रतिभूतियों” का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या उसके किसी संशोधन के तहत इसके लिए दिया हुआ है;”

ख. खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“व्यापार” (ट्रेडिंग) का अर्थ है और उसमें शामिल है – किन्हीं प्रतिभूतियों (सिक्कुरिटीज़) में पैसा लगाना (अभिदाय करना), उन्हें भुनाना (उनका मोचन / उन्हें रिडीम करना), स्विच करना, खरीदना, बेचना, उनमें लेनदेन (व्यौहार) करना, या उनमें पैसा लगाने, उन्हें भुनाने, स्विच करने, खरीदने, बेचने, उनमें लेनदेन करने के लिए सहमत होना, और “ट्रेड” (व्यापार) का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;”

II. विनियम 7क में, खंड (घ) में,

i. उप-खंड (iv) में, शब्द “और” हट जाएगा।

ii. उप-खंड (iv) के बाद और उप-खंड (v) से पहले, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् –  
“iv(क) इन विनियमों के विनियम 5क से 5छ; और”

III. अध्याय-II के बाद और अध्याय-III से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

#### “अध्याय-IIIक

**अंतरंग व्यक्तियों (इनसाइडर्स) द्वारा म्यूचुअल फंडों (पारस्परिक निधियों) की यूनिटों के संबंध में जानकारी प्रदान करने (संसूचना देने) और उनमें व्यापार (ट्रेडिंग) करने पर पाबंदी**

**लागू होना**

5क. (1) इस अध्याय के प्रावधान केवल म्यूचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में ही लागू होंगे।

(2) अध्याय-IIIक और अध्याय-V के सभी प्रावधान भी म्यूचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में लागू होंगे।

**परिभाषाएँ**

5ख. (1) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ,

(क) “सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट)” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 [सेबी (म्यूचुअल फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 1996] में इसके लिए दिया हुआ है;

(ख) “संबद्ध व्यक्ति” का अर्थ होगा:

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड, आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) और न्यासियों (ट्रस्टी) से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हैसियत से जुड़ा हुआ है (सहयुक्त है) या संबंधित क्रियाकलाप होने से पहले के दो महीनों की अवधि के दौरान जुड़ा रहा हो (सहयुक्त हो), फिर चाहे वह उसके अधिकारियों के साथ अक्सर संपर्क में रहा हो अथवा उसका किसी करार आदि के तहत कोई संबंध रहा हो, उसका वैश्वासिक हैसियत से कोई संबंध रहा हो या कार्यरत व्यक्ति (नियोजित व्यक्ति) के तौर पर उसका कोई संबंध रहा हो अथवा वह आस्ति प्रबंध कंपनी और न्यासी का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी रहा हो अथवा वह किसी ऐसे पद पर रहा हो, जिससे कि उसका म्यूचुअल फंड या आस्ति प्रबंध कंपनी या न्यासियों के साथ या तो कोई व्यावसायिक संबंध रहा हो या फिर पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से कोई संबंध रहा हो, फिर चाहे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, और जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ‘अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी’ तक पहुँच हो जाती हो या फिर ऐसी पूरी-पूरी संभावना हो;

(ii) उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित श्रेणियों (प्रवर्गों) में

आने वाले व्यक्तियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे संबद्ध व्यक्ति हैं, जब तक कि इसके विपरीत कुछ सिद्ध न हो जाए,

- (क) खंड (i) में उल्लिखित संबद्ध व्यक्तियों का सीधा नातेदार; या
- (ख) प्रायोजक (स्पॉन्सर), प्रायोजक या आस्ति प्रबंध कंपनी की नियंत्रि (होलिडिंग) कंपनी या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी या समुनपंगी (सब्सीडियरी) कंपनी और न्यासी; या
- (ग) म्यूचुअल फंड के प्रायोजक (स्पॉन्सर) का निदेशक मंडल और उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति; या
- (घ) म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं (शेयर ट्रांसफर एजेंट), अभिरक्षकों (कस्टोडियन) या उसकी मूल्यांकन एजेंसियों के निदेशक या कर्मचारी, जिनकी कामकाज के दौरान म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम या उसकी यूनिटों से संबंधित 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक पहुँच हो या फिर ऐसी पूरी-पूरी संभावना हो; या
- (ङ) म्यूचुअल फंड को सेवा प्रदान करने वाले फंड अकाउण्टेंट (निधि लेखाकार) का कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसकी कामकाज के दौरान म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम या उसकी यूनिटों से संबंधित 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक पहुँच हो या फिर ऐसी पूरी-पूरी संभावना हो; या
- (च) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या प्राधिकृत किसी स्व-विनियामक संगठन (सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गेनाइज़ेशन) का कोई अधिकारी या कर्मचारी; या
- (छ) स्टॉक एक्सचेंज का वह अधिकारी, जो सूचना प्रसारित करता हो; या
- (ज) म्यूचुअल फंड या आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक या उसके लेखापरीक्षक (ऑडिटर) के कर्मचारी, उसका कानूनी सलाहकार या परामर्शदाता, जिसकी म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम या उसकी यूनिटों से संबंधित 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक पहुँच हो या फिर ऐसी पूरी-पूरी संभावना हो; या
- (झ) अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कोई मध्यवर्ती (इंटरमाडियरी) अथवा उसका कोई कर्मचारी या निदेशक, जिसकी कामकाज के दौरान म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम या उसकी यूनिटों से संबंधित 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक पहुँच हो या फिर ऐसी पूरी-पूरी संभावना हो; या
- (ञ) म्यूचुअल फंड या आस्ति प्रबंध कंपनी का बैंकर; या
- (ट) फर्म आदि (कंसर्न सहित), न्यास (ट्रस्ट), हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ), कंपनी या व्यक्तियों का संघ (संगम), जिनमें आस्ति प्रबंध कंपनी और न्यासियों के किसी निदेशक या उसके किसी सीधे नातेदार या कंपनी के बैंकर के पास दस प्रतिशत से अधिक की धारिता (होलिडिंग) या हित हो;

(ग) "साधारणतः उपलब्ध जानकारी" का अर्थ है – वह जानकारी जो यूनिटधारकों के लिए उपलब्ध कराई जाए या जो आम जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हो;

टिप्पण: यहाँ साधारणतः उपलब्ध जानकारी को इसलिए परिभाषित किया गया है कि इसका अर्थ आसानी से स्पष्ट हो सके। किसी स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई जानकारी को, आम तौर पर 'साधारणतः उपलब्ध जानकारी' माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: आस्ति प्रबंध कंपनियाँ / न्यासी समस्त अहम (महत्वपूर्ण) जानकारी (जब कभी भी ऐसी जानकारी यूनिटधारकों को प्रदान करना जरूरी हो या सार्वजनिक सूचना जारी करना जरूरी हो) स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर तत्काल उपलब्ध कराएंगी / कराएंगे अथवा उस प्रकार जानकारी उपलब्ध कराएंगी / कराएंगे जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;

(घ) "अंतरंग व्यक्ति" (इनसाइडर्स) का अर्थ है - ऐसा व्यक्ति:

- i. जो संबद्ध व्यक्ति हो; या
- ii. जिसके पास किसी स्कीम से संबंधित 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' हो या जो किसी स्कीम से संबंधित 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक पहुँच रखता हो;

(ङ) "सिस्टम के जरिए अपने-आप होने वाले लेनदेन (सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन)" म्यूचुअल फंड की यूनिटों में किए जाने वाले ऐसे लेनदेन होते हैं जो निवेशक के अनुदेशानुसार समय-समय पर अपने-आप ही हो जाते हैं, जिनमें शामिल हैं - सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान;

(च) 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' का अर्थ होगा - म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम से संबंधित ऐसी कोई जानकारी जो साधारणतः उपलब्ध न हो और जिसके साधारणतः उपलब्ध हो जाने पर शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) पर या यूनिटधारकों के हित पर खासा असर पड़ सकता हो और जिसमें सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित जानकारी शामिल होगी:

- i. लेखा नीति (अकाउंटिंग पॉलिसी) में बदलाव होना;
- ii. किसी आस्ति (असेट) या किसी आस्ति वर्ग के मूल्यांकन में अहम (महत्वपूर्ण) बदलाव होना;
- iii. यूनिटों को भुनाने (के मोचन या रिडेंशन) पर पाबंदी लगाना, स्कीम (स्कीमों) का परिसमापन (को वाइंड अप) करना;
- iv. सेग्रिगेटेड पोर्टफोलियो बनाया जाना;
- v. स्विंग प्राइसिंग संबंधी ढाँचा लागू (ट्रिगर) होना और स्विंग फैक्टर का लागू होना;
- vi. संबंधित म्यूचुअल फंड की स्कीम (स्कीमों) की अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) की स्थिति में अहम बदलाव होना;
- vii. उन अंडरलाइंग प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के संबंध में चूक होना, जो संबंधित म्यूचुअल फंड की स्कीम (स्कीमों) के लिए अहम हों;

**टिप्पणः** अध्याय-1 में दी हुई अन्य सभी परिभाषाएँ म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए जाने वाले लेनदेन के मामले में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगी।

**'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' देना या प्राप्त करना और स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस रखना**

5ग. (1) कोई भी अंतरंग व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति (जिसमें अन्य अंतरंग व्यक्ति भी शामिल हैं) को, उन मामलों को छोड़कर, कोई 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' नहीं देगा, उपलब्ध नहीं कराएगा, या उस तक पहुँच प्रदान नहीं करेगा, जहाँ ऐसा करना विधिसम्मत (जायज) प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित बाध्यताओं के निर्वहन हेतु जरूरी हो।

**टिप्पणः** इस प्रावधान का आशय उन समस्त अंतरंग व्यक्तियों, जिनके कब्जे में 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' होती है, पर यह बाध्यता डालना है कि वे ऐसी जानकारी को सावधानीपूर्वक संभालकर रखें और अपना कामकाज करते समय अपने पास पड़ी जानकारी के संबंध में कार्यवाही केवल 'जानने की आवश्यकता के आधार पर ही' करें। इसका आशय यह भी है कि जिन संगठनों आदि के पास जो जानकारी हो वे उस जानकारी के संबंध में 'जानने की आवश्यकता' संबंधी सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्था निर्धारित करें।

(2) कोई भी व्यक्ति, 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' रखने वाले किसी अंतरंग व्यक्ति से उन मामलों को छोड़कर, न तो कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी प्राप्त करेगा और न ही उससे 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' दिलवाएगा, जहाँ ऐसा करना विधिसम्मत (जायज) प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित बाध्यताओं के निर्वहन हेतु जरूरी हो।

**टिप्पण:** इस प्रावधान का आशय 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' को गैर-कानूनी तरीके से प्राप्त करने पर रोक लगाना है। 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' देने के लिए उकसाना और उसे प्राप्त करना इस प्रावधान के तहत अवैध होगा, यदि ऐसा किसी विधिसम्मत कर्तव्यों और बाध्यताओं के निर्वहन हेतु न किया गया हो।

(3) आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) का निदेशक मंडल, न्यासियों (ट्रस्टी) की मंजूरी से एक नीति बनाएगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि किन प्रयोजनों को "विधिसम्मत प्रयोजन" माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण** - उदाहरण के प्रयोजनार्थ, शब्दों "विधिसम्मत प्रयोजन" में शामिल होगा - अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) द्वारा सामान्य कारबार के दौरान न्यासियों (ट्रस्टी), रजिस्ट्रारों और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, अभिरक्षकों (कस्टोडियन), मूल्यांकन एजेंसियों, निधि लेखाकारों (फंड अकाउंटेंट्स), एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (साख निर्धारण एजेंसियों), कानूनी सलाहकारों, लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' साझा किया जाना, बशर्ते कि ऐसी जानकारी इन विनियमों के तहत लगाई गई पाबंदियों से बचने आदि के लिए साझा न की जाए।

(4) जिस किसी व्यक्ति को "विधिसम्मत प्रयोजन" के तहत 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' प्राप्त हुई हो, उसे इस अध्याय के प्रयोजनार्थ "अंतरंग व्यक्ति" समझा जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों को इन विनियमों के अनुसार ऐसी 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में विधिवत् सूचना दी जाएगी।

(5) उप-विनियम (4) के प्रयोजनार्थ, आस्ति प्रबंध कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे पक्षों (पक्षकारों / पार्टियों) से यह अपेक्षा करेगा कि वे गोपनीयता और जानकारी न प्रकट किए जाने (नॉन-डिस्कलोजर) संबंधी बाध्यताओं के संबंध में करार करें, और ऐसे पक्ष यहाँ उल्लिखित प्रयोजन के सिवाय इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे, और वे उस समय म्यूचुअल फंड की यूनितों में और किसी तरह से लेनदेन (डील) नहीं करेंगे जिस समय उनके पास 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' हो।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, के संगठन का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या उसका प्रमुख (प्रधान) [उसके प्रमुख (प्रधान)] यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस बनाए रखा जाए, जिसमें 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' के स्वरूप का उल्लेख किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएँ जिन्होंने इस विनियम के तहत जानकारी साझा की हो तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम भी शामिल किए जाएँ जिनके साथ इस विनियम के तहत जानकारी साझा की गई हो और इसके अलावा उसमें स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) या जहाँ स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) उपलब्ध न हो वहाँ कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज की जानकारी शामिल की जाए। ऐसा डाटाबेस आउटसोर्स नहीं किया जाएगा और ऐसे डाटाबेस के संबंध में आंतरिक स्तर पर पर्याप्त नियंत्रण आदि (जैसे टाइम स्टैम्पिंग और ऑडिट ट्रेल) की व्यवस्था होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाटाबेस के साथ कोई छेड़छाड़ न हो पाए।

(7) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, के संगठन का निदेशक मंडल या उसका प्रमुख [उसके प्रमुख (प्रधान)] यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस को संबंधित लेनदेन (संव्यहारों / ट्रांज़ैक्शन्स) के पूरा होने के बाद कम से कम आठ वर्षों की अवधि तक संभालकर रखा जाए, और किसी तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) या प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में बोर्ड से कोई सूचना प्राप्त होने पर स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस में उपलब्ध संबंधित जानकारी ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने तक संभालकर रखी जाएगी।

**जिस दौरान 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' हो उस दौरान व्यापार (ट्रेडिंग)**

5घ. (1) कोई भी अंतरंग व्यक्ति म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की यूनितों में उस दौरान व्यापार (ट्रेड) नहीं करेगा जिस दौरान उसके पास ऐसी 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' हो, जिससे कि किसी स्कीम के शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) पर या उस स्कीम के यूनितधारकों के हित पर खासा असर पड़ सकता हो:

**स्पष्टीकरण** – जिस दौरान किसी व्यक्ति के पास 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' हो, उस दौरान उसके द्वारा म्यूचुअल फंड की यूनिटों में किए गए लेनदेन के बारे में यही माना जाएगा कि ऐसे लेनदेन ऐसी जानकारी से प्रेरित होकर ही किए गए:

परंतु यह कि अंतरंग व्यक्ति परिस्थितियों को दर्शाकर यह साबित कर सकता है कि वह निर्दोष है, जिनमें निम्नलिखित परिस्थितियाँ शामिल हैं :-

- (i) किया गया लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) जिन अंतरंग व्यक्तियों (इनसाइडर) के बीच आपस में बाजार से परे (ऑफ-मार्केट) किया गया था, उनके पास एक जैसी 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' थी और दोनों पक्षों (पक्षकारों / पार्टियों) ने व्यापार (ट्रेड) संबंधी निर्णय पूरी तरह से सोच-समझकर लिया था:

परंतु यह कि बाजार से परे (आफ-मार्केट) किए जाने वाले ऐसे व्यापारों (ट्रेड) की रिपोर्ट अंतरंग व्यक्तियों (इनसाइडर) द्वारा आस्ति प्रबंध कंपनी को दो कार्य-दिवसों के भीतर दी जाएगी। प्रत्येक आस्ति प्रबंध कंपनी ऐसी जानकारी प्राप्त होने या ऐसी जानकारी से अवगत होने की तारीख से व्यापार के दो दिनों के भीतर ऐसे व्यापारों (ट्रेड) के विवरण स्टॉक एक्सचेंज को या ऐसे किसी अन्य प्रकार से सूचित करेगी जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;

- (ii) संबंधित लेनदेन (ट्रांजैक्शन) किसी कानूनी या विनियामक (रेग्युलेटरी) बाध्यता के तहत किया गया था, जिसमें शामिल है - बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित की गई उस अपेक्षा के तहत म्यूचुअल फंड की यूनिटों में पैसा लगाना (अभिदान करना / सब्सक्राइब करना) या निवेश करना, जो इस उद्देश्य से निर्धारित की गई थी कि म्यूचुअल फंड की स्कीमों के यूनिटधारकों के हितों से आस्ति प्रबंध कंपनियों के पदाभिहित कर्मचारियों के हित भी जुड़े रहें;

- (iii) संबंधित लेनदेन (ट्रांजैक्शन) 'सिस्टम के जरिए होने वाले लेनदेन' की वजह से अपने-आप ही हो गया था, और जहाँ सिस्टम के जरिए किए गए ऐसे लेनदेन ऐसा घटित होने से कम से कम दो महीने पहले ही रजिस्टर किए जाते हों;

- (iv) संबंधित लेनदेन ऐसी व्यापार योजना (ट्रेडिंग प्लान) के तहत हुआ हो जिसे टाला न जा सकता हो, और जहाँ ऐसी योजना की मंजूरी अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) द्वारा दी गई हो और जिसकी जानकारी व्यापार (ट्रेड) शुरू होने की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले ही स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी गई हो या उसी प्रकार दे दी गई हो जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि प्रत्येक योजना के लिए व्यापार (ट्रेडिंग) की अवधि कम से कम छह महीनों की होगी तथा उस अवधि के दौरान कोई और व्यापार योजना लागू नहीं की जाएगी:

परंतु यह और कि मंजूर की गई योजना के अनुसार किए जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए, पूर्व-मंजूरी (प्री-क्लीयरेंस) या समापन अवधि (क्लोज़र पीरियड) या कॉण्ट्रा ट्रेड से संबंधित कोई भी अपेक्षा / मानदंड लागू नहीं होगी / होंगे।

- (2) संबद्ध व्यक्तियों के मामले में, यह साबित करने की जिम्मेदारी कि 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' उनके पास नहीं थी, ऐसे संबद्ध व्यक्तियों पर होगी और अन्य मामलों में यह जिम्मेदारी बोर्ड पर होगी।

### **चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)**

5ड. (1) आस्ति प्रबंध कंपनी, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तारीख को और उसके बाद तत्पश्चात् आधार पर, स्टॉक एक्सचेंजों के प्लेटफॉर्म पर या उस प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ये व्योरे सूचित करेगी कि आस्ति प्रबंध कंपनी के पदाभिहित व्यक्तियों, न्यासियों और उनके सीधे नातेदारों के पास, समेकित आधार पर, उसके म्यूचुअल फंड की स्कीमों की कितनी यूनिटें हैं।

(2) आस्ति प्रबंध कंपनी के पदाभिहित व्यक्तियों, न्यासियों और उनके सीधे नातेदारों द्वारा उसके म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए समस्त लेनदेन (बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक के लेनदेन) के व्योरे, लेनदेन किए जाने की तारीख से कारबार के दो दिनों के भीतर, संबंधित व्यक्ति द्वारा आस्ति प्रबंध कंपनी के अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) को सूचित किए जाएंगे:

परंतु यह कि म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम के माध्यम से 'सिस्टम के जरिए अपने-आप होने वाले लेनदेन' के संबंध में, पदाभिहित व्यक्ति व्यौरे तभी सूचित कर सकेंगे जब पहली बार लेनदेन किया जा रहा हो, और साथ ही यह भी सूचित करेंगे कि ऐसा लेनदेन कितनी अवधि तक किया जाएगा, और ऐसे लेनदेन के संबंध में कोई बदलाव होने पर उसके व्यौरे भी सूचित करेंगे:

परंतु यह और कि यदि

- क. म्यूचुअल फंड की यूनिटों में किसी अनिवार्य अपेक्षा के तहत पैसा लगाया (अभिदान / सबक्राइब किया) गया हो या निवेश किया गया हो, जिसमें शामिल है - बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित की गई उस अपेक्षा के तहत म्यूचुअल फंड की यूनिटों में पैसा लगाना (अभिदान करना / सबक्राइब करना) या निवेश करना, जो इस उद्देश्य से निर्धारित की गई थी कि म्यूचुअल फंड की स्कीमों के यूनिटधारकों के हितों से आस्ति प्रबंध कंपनियों के मुख्य कर्मचारियों (पदाभिहित कर्मचारियों) के हित भी जुड़े रहें, या ऐसा अन्य किसी प्रयोजन से किया गया हो, जहाँ आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा इस संबंध में अलग से रिकार्ड रखा जाता हो और ऐसे लेनदेन बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) / दिशानिर्देशों के दायरे में आते हों;
- ख. कोई ट्रेडिंग (व्यापार) ओवरनाइट स्कीमों, इंडेक्स फंडों (ऐसे फंड जो सूचकांकों के अनुसरण करते हैं) और एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (एक्सचेंज व्यापारित निधियों) में की गई हो (किया गया हो), तो ऐसे में कोई भी व्यौरे सूचित करने जरूरी नहीं हैं।

(3) उप-विनियम (2) में जिन लेनदेन का जिक्र है उनके व्यौरे, आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को या उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए, ऐसे व्यौरे प्राप्त होने की तारीख से कारबार के दो दिनों के भीतर सूचित किए जाएंगे।

(4) उपरोक्त व्यौरे उसी रूप में और उसी प्रकार सूचित किए जाएंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

### आचार संहिता

5च. (1) प्रत्येक आस्ति प्रबंध कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) या प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), उनकी मंजूरी (अनुमोदन) से एक आचार संहिता, इन विनियमों के पालन हेतु, अपने पदाभिहित व्यक्तियों (डिसिग्रेटेड पर्सन्स) तथा पदाभिहित व्यक्तियों के सीधे नातेदारों द्वारा म्यूचुअल फंड की यूनिटों में किए जाने वाले लेनदेन को विनियमित (रेग्यूलेट) करने, उस पर नज़र (मॉनीटर) रखने [उसका अनुश्रवण (उसे मॉनीटर) करने] तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए बनाएगा, और ऐसी आचार संहिता बनाते समय, इन विनियमों (रेग्यूलेशन) की अनुसूची-ख-1 में निर्धारित किए गए न्यूनतम मानदंडों का समावेश अवश्य किया जाए और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के प्रावधानों (उपबंधों) के प्रभाव को कम न किया जाए।

(2) प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जिससे कारबार के दौरान म्यूचुअल फंड की स्कीम या उसकी यूनिटों से जुड़ी 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, के संगठन का निदेशक मंडल या प्रमुख (के प्रमुख) एक आचार संहिता, इन विनियमों के पालन हेतु, अपने पदाभिहित व्यक्तियों (डिसिग्रेटेड पर्सन्स) तथा पदाभिहित व्यक्तियों के सीधे नातेदारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार (की जाने वाली ट्रेडिंग) को विनियमित (रेग्यूलेट) करने, उस पर नज़र (मॉनीटर) रखने [उसका अनुश्रवण (उसे मॉनीटर) करने] तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए बनाएगा (बनाएंगे), और ऐसी आचार संहिता बनाते समय, इन विनियमों (रेग्यूलेशन) की अनुसूची-ग में निर्धारित किए गए न्यूनतम मानदंडों का समावेश अवश्य किया जाए और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के प्रावधानों (उपबंधों) के प्रभाव को कम न किया जाए।

**स्पष्टीकरण** - इन विनियमों की अनुसूची-ग के प्रयोजार्थ, आस्ति प्रबंध कंपनियों (एसेट मैनेजमेंट कंपनी), न्यासियों (ट्रस्टी), रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं (शेयर ट्रांसफर एजेंट), अभिरक्षकों (कस्टोडियन) और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (साख निर्धारण एजेंसियों) को सहायता प्रदान करने वाली या सलाह देने वाली व्यावसायिक फर्मों [जैसे लेखापरीक्षकों (ऑडिटर), अकाउंटेंसी फर्मों, लॉ फर्मों, विश्लेषकों (एनालिस्ट), परामर्शदाताओं (कंसल्टेंट), बैंकों, मूल्यांकन एजेंसियों (वैल्यूएशन एजेंसी), फंड अकाउण्टेंट (निधि लेखाकारों) ]का उल्लेख सामूहिक रूप से "वैश्वसिक एंटीटियों (फिड्यूशरी)" के रूप में किया जाएगा।

(3) आचार संहिता बनाने वाली प्रत्येक आस्ति प्रबंध कंपनी, मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) और अन्य व्यक्ति इन विनियमों (रेग्यूलेशन) के तहत आचार संहिता तथा अन्य अपेक्षाओं के पालन पर नजर रखने हेतु एक अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) का चयन करेंगे और उसे नियुक्त करेंगे।

#### पदाभिहित व्यक्ति

5छ. (1) आस्ति प्रबंध कंपनी और न्यासी (ट्रस्टी) का निदेशक मंडल, अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) के परामर्श से, यह स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि कौन-कौन पदाभिहित व्यक्ति संगठन में अपनी भूमिका एवं कार्य के आधार पर और अपनी वरिष्ठता (ज्येष्ठता) और पेशेवर की हैसियत से पद पर रहने के अलावा अपनी भूमिका एवं कार्य की वजह से 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक उनकी पहुंच के आधार पर आचार संहिता के दायरे में आएंगे और जिनमें शामिल होंगे:

- i. आस्ति प्रबंध कंपनी का प्रमुख [मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) / प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) / अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) या किसी अन्य नाम से पदनामित],
- ii. आस्ति प्रबंध कंपनी या न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी के निदेशक,
- iii. मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर), मुख्य जोखिम अधिकारी (चीफ रिस्क ऑफिसर), मुख्य संचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेशन ऑफिसर), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्यूरिटी ऑफिसर), निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर), डीलर, अनुसंधान विश्लेषक (रिसर्च एनालिस्ट), मुख्य कामकाज देखने वाले विभाग के सभी कर्मचारी, अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) और सभी प्रभागों और/या विभागों के प्रमुख या आस्ति प्रबंध कंपनी और/या न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा यथा पदनामित कोई अन्य कर्मचारी।

स्पष्टीकरण: आस्ति प्रबंध कंपनी / न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी के जिन गैर-कार्यपालक निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) या जिन न्यासियों के पास 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' हो / की पहुँच 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक हो, वे भी पदाभिहित व्यक्ति माने जाएंगे।

(2) प्रत्येक अन्य मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) और अन्य व्यक्ति, अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) के परामर्श से, यह स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि कौन-कौन पदाभिहित व्यक्ति संगठन में अपनी भूमिका एवं कार्य के आधार पर और अपनी वरिष्ठता (ज्येष्ठता) और पेशेवर की हैसियत से पद पर रहने के अलावा अपनी भूमिका एवं कार्य की वजह से 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक उनकी पहुँच के आधार पर आचार संहिता के दायरे में आएंगे।

#### अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था

5ज. (1) आस्ति प्रबंध कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) / प्रबंध निदेशक, न्यासी (ट्रस्टी) की मंजूरी से अथवा मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वासिक (फिड्यूशरी) एंटीटी का ऐसा ही अन्य व्यक्ति, अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकने हेतु इन विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक स्तर पर नियंत्रणों की पर्याप्त और कारगर व्यवस्था निर्धारित करेगा। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) उन सभी कर्मचारियों की पहचान पदाभिहित व्यक्तियों के रूप में की जाए, जिनकी पहुँच 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' तक हो;
- (ख) समस्त 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' की पहचान की जाएगी और इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी;
- (ग) 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' प्रदान करने या उसे प्राप्त करने के संबंध में पर्याप्त प्रतिबंध (निर्बंधन) लगाए जाएंगे, जैसा कि इन विनियमों के अनुसार अपेक्षित है;
- (घ) उन सभी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों की सूचियाँ बनाकर रखी जाएंगी, जिनके साथ 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' साझा की जाती हो, और गोपनीयता संबंधी करारों पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे या ऐसे सभी कर्मचारियों तथा व्यक्तियों को सूचना (नोटिस) विधिवत् रूप से दी जाएगी;

- (ड) आंतरिक स्तर पर बनाए गए ऐसे नियंत्रण कारगर हैं या नहीं इसका आकलन करने के लिए प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी;
- (च) इन विनियमों के तहत निर्धारित की गई अन्य समस्त संबंधित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा।
- (2) आस्ति प्रबंध कंपनी का निदेशक मंडल और मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) तथा वैश्वासिक एंटिटियों (फिड्यूशरी) के संगठन का निदेशक मंडल या का प्रमुख (के प्रमुख) यह भी सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या ऐसे ही अन्य व्यक्ति इन विनियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं।
- (3) आस्ति प्रबंध कंपनी की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) अथवा मध्यवर्ती या वैश्वासिक एंटिटी (फिड्यूशरी) का ऐसा ही अन्य निकाय (बॉडी) एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार इन विनियमों के प्रावधानों के पालन की समीक्षा करेगा और यह सत्यापित करेगा कि आंतरिक स्तर पर बनाई गई नियंत्रण की व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं और कारगर ढंग से काम कर रही हैं।
- (4) प्रत्येक आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासियों (ट्रस्टी) की मंजूरी से, 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' के लीक होने या 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' के लीक होने का संदेह होने के मामले में जाँच हेतु लिखित रूप में नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बनाएगी, और तदनुसार वह 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' के लीक होने का पता चलने पर या 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' के लीक होने का संदेह होने पर उपयुक्त जाँच शुरू करेगी और इस प्रकार जानकारी के लीक होने, इस प्रकार की जाने वाली जाँचों और इस प्रकार की जाने वाली जाँचों के परिणामों की सूचना बोर्ड को तुरंत देगी।
- (5) आस्ति प्रबंध कंपनी के यहाँ न्यासियों (ट्रस्टी) की मंजूरी से, पर्दाफाश करने (व्हिसल-ब्लोअर) संबंधी नीति होगी और वह कर्मचारियों को ऐसी नीति से अवगत कराएगी, ताकि कर्मचारी 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' के लीक होने की घटनाओं आदि की रिपोर्ट कर सकें।
- (6) यदि 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' के लीक होने या 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' के लीक होने का संदेह होने के मामले में आस्ति प्रबंध कंपनी / न्यासियों द्वारा जाँच शुरू की गई हो, तो संबंधित मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) और वैश्वासिक एंटिटियाँ (फिड्यूशरी) आस्ति प्रबंध कंपनी / न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा की जा रही ऐसी जाँच के संबंध में आस्ति प्रबंध कंपनी / न्यासियों (ट्रस्टी) को सहयोग करेगी।"

IV. अनुसूची-ख के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

#### "अनुसूची - ख-1

#### (अध्याय-1क का विनियम 5च देखें)

पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा अपने म्यूचुअल फंड की स्कीमों की यूनिटों में किए जाने वाले व्यापार (की जाने वाली ट्रेडिंग) को विनियमित (रेग्युलेट) करने, उस पर नज़र रखने तथा उसकी रिपोर्ट देने के संबंध में म्यूचुअल फंडों के लिए बनाई जाने वाली आचार संहिता हेतु न्यूनतम मानक

1. अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा और आस्ति प्रबंध कंपनी की लेखापरीक्षा (ऑडिट) समिति के अध्यक्ष तथा न्यासियों (ट्रस्टी) को ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट देगा, जैसा निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाए (परंतु किसी भी मामले में वर्ष में एक बार से कम नहीं)।
2. जानकारी संगठन के भीतर 'जानने की आवश्यकता के आधार पर' दी जाएगी और कोई भी 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' किसी व्यक्ति को उन मामलों को छोड़कर प्रदान नहीं की जाएगी जहाँ ऐसी सूचना प्रदान करना विधिसम्मत (जायज) प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित बाध्यताओं के निर्वहन हेतु जरूरी हो। आचार संहिता में चाइनीज़ वॉल संबंधी उपयुक्त प्रक्रियाओं हेतु मानक, और किसी पदाभिहित व्यक्ति को "क्रॉस द वॉल" हेतु अनुमति देने संबंधी प्रक्रियाएँ शामिल होंगी।
3. संगठन में पदाभिहित व्यक्ति और पदाभिहित व्यक्तियों के सीधे नातेदार आंतरिक स्तर पर बनाई गई उस आचार संहिता के दायरे में आएंगे, जिनके दायरे में म्यूचुअल फंड की यूनिटों में किए जाने वाले लेनदेन (डीलिंग) आते हों।

4. (1) पदाभिहित व्यक्ति, इन विनियमों का पालन करते हुए, म्यूचुअल फंड की यूनिटों में लेनेदेन (डील) कर सकेगा। आस्ति प्रबंध कंपनी का अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) व्यापार (ट्रेडिंग) बंद करने की अवधि (क्लोजर पीरियड) [जब इसकी पूरी-पूरी संभावना हो कि उस अवधि के दौरान पदाभिहित व्यक्ति या पदाभिहित व्यक्तियों के वर्ग के पास 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' होगी] का निर्धारण करेगा। इस प्रकार व्यापार (ट्रेडिंग) को बंद किए जाने का निर्णय ऐसी स्कीमों के संबंध में लागू होगा, जिनसे ऐसी 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' संबंधित हो। ऐसी अवधि के दौरान, पदाभिहित व्यक्तियों और / या उनके सीधे नातेदारों द्वारा म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में लेनेदेन किए जाने संबंधी अनुरोध के संबंध में आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) उप-खंड (1) के अनुसार व्यापार (ट्रेडिंग) को बंद किए जाने संबंधी अवधि से संबंधित प्रतिबंध, विनियम 5(घ) के उप-विनियम (1) के परंतुक के खंड (i) से (iii) में उल्लिखित लेनेदेन (संव्यवहारों / ट्रांजेक्शन्स) के संबंध में तथा सद्भाविक प्रयोजन से म्यूचुअल फंड की यूनिटों को गिरवी रखे जाने के संबंध में लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) द्वारा पूर्व-मंजूरी दे दी जाए और बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई अन्य अपेक्षाओं (यदि कोई हों) का पालन कर लिया जाए।

5. व्यापार (ट्रेड) के पुनः खुलने का समय अनुपालन अधिकारी द्वारा विभिन्न पहलुओं पर विचार करके तय किया जाएगा, जैसे - संबंधित 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' का साधारणतः उपलब्ध हो जाना और उससे बाजार में कोई असर न पड़ना।

6. जब व्यापार (ट्रेडिंग) बंद किए जाने की अवधि लागू न हो, तब पदाभिहित व्यक्तियों और उनके सीधे नातेदारों द्वारा म्यूचुअल फंड की यूनिटों में किए जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) [जिसमें सिस्टम के जरिए अपने-आप होने वाले लेनेदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) शुरू करना शामिल है] अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) की पूर्व-मंजूरी लेकर ही किए जाएंगे, यदि किए जाने वाले ट्रेड (व्यापारों) का मूल्य आस्ति प्रबंध कंपनी के बोर्ड द्वारा तय की गई सीमा-रेखाओं (थ्रेसहोल्ड) [सिस्टम के जरिए अपने आप होने वाले लेनेदेन और एकमुश्त भुगतान के लिए अलग-अलग सीमा-रेखाएँ तय की जाएंगी] से अधिक हो:

परंतु यह कि किन्हीं अनिवार्य अपेक्षाओं के तहत पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा यूनिटों में किए जाने वाले लेनेदेन [जिसमें शामिल है - बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित की गई उस अपेक्षा के तहत लेनेदेन करना, जो इस उद्देश्य से निर्धारित की गई थी कि म्यूचुअल फंड की स्कीमों के यूनिटधारकों के हितों से आस्ति प्रबंध कंपनियों के मुख्य कर्मचारियों (पदाभिहित कर्मचारियों) के हित भी जुड़े रहें] से संबंधित प्रावधान या अन्य प्रावधान बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे:

परंतु यह और कि पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) करने हेतु पूर्व-मंजूरी लेने संबंधी अपेक्षा, ओवरनाइट स्कीमों, इंडेक्स फंडों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (एक्सचेंज व्यापारित निधियों) में व्यापार (ट्रेडिंग) करने के संबंध में लागू नहीं होगी।

7. किन्हीं व्यापारों (ट्रेड) को मंजूरी प्रदान करने से पहले, अनुपालन अधिकारी ऐसी एक घोषणा मांगने का हकदार होगा कि पूर्व-मंजूरी हेतु आवेदन करने वाले आवेदक के पास कोई 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' नहीं है। साथ ही, ऐसी किसी घोषणा को घोषणा तर्कसंगत रूप से गलत भी ठहराया जा सकेगा।
8. आस्ति प्रबंध कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक द्वारा बनाई गई आचार संहिता में किसी ऐसी उपयुक्त समय-सीमा का उल्लेख होगा, जो किसी भी दशा में कारबार के सात दिनों से अधिक की नहीं होगी, जिसके भीतर पदाभिहित व्यक्ति को ऐसे व्यापार (ट्रेड) करने होंगे जिनके लिए पूर्व-मंजूरी दी गई हो, ऐसा न होने पर किए जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के संबंध में फिर से पूर्व-मंजूरी लेनी होगी।
9. आचार संहिता में उस अवधि का उल्लेख होगा, जो किसी भी दशा में दो महीनों से कम की नहीं होगी, जिसके भीतर वह पदाभिहित व्यक्ति जिसे व्यापार (ट्रेड) करने की अनुमति हो, कॉण्ट्रा ट्रेड नहीं करेगा। अनुपालन अधिकारी को यह शक्ति दी जा सकेगी कि वह, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ऐसी पाबंदी को कड़ाई से लागू किए जाने से ढील दे सकेगा, बशर्ते कि इस प्रकार ढील दिए जाने से इन विनियमों या बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो। यदि कॉण्ट्रा ट्रेड, ऐसी पाबंदियों का उल्लंघन करके किया जाता हो (फिर चाहे वह अनजाने में किया जाता हो या अन्य किसी रूप में किया

जाता हो), तो ऐसे व्यापार (ट्रेड) से होने वाला मुनाफे (लाभ) या टाले गए नुकसान की रकम को आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा प्रत्यर्पित (डिस्चार्ज) किया जा सकेगा, और आस्ति प्रबंध कंपनी, बोर्ड को सूचित करके वह रकम बोर्ड द्वारा अधिनियम के तहत बनाई गई निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एज्यूकेशन फंड) में जमा करा देगी:

परंतु यह कि कॉण्ट्रा ट्रेड के संबंध में लगाई गई पाबंदियाँ ओवरनाइट स्कीमों पर लागू नहीं होगी।

10. आचार संहिता में ऐसे फार्मेट भी निर्धारित होंगे, जो निदेशक मंडल, इन विनियमों के पालन पर नज़र रखने के उद्देश्य से, किए गए व्यापारों (ट्रेड) की रिपोर्ट देने के संबंध में और ऐसे अंतरालों (जो आवश्यकतानुसार निर्धारित किए जाएँ) पर म्यूचुअल फंड की यूनिटों में धारिताओं (होल्डिंग्स) के रिपोर्टिंग लैवल (स्तर) के संबंध में जरूरी समझे।
11. आचार संहिता में ऐसी आंतरिक अनुशास्तियों (सैंक्शन्स) और अनुशासनिक कार्रवाइयों का उल्लेख होगा, जिनमें शामिल हैं – वेतन आदि पर रोक, निलंबन, वसूली, आदि, जो आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए लगाई जा सकेंगी। इस खंड के तहत एकत्र की गई कोई रकम आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा प्रत्यर्पित (डिस्चार्ज) की जाएगी और आस्ति प्रबंध कंपनी, बोर्ड को सूचित करके वह रकम बोर्ड द्वारा अधिनियम के तहत बनाई गई निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एज्यूकेशन फंड) में जमा करा देगी।
12. आचार संहिता में यह उल्लेख होगा कि यदि आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा यह पाया जाए कि इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है, तो इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को तुरंत या उसी रूप में और उसी प्रकार दी जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
13. पदाभिहित व्यक्तियों से यह अपेक्षित होगा कि वे म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम तथा स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून (विधि) के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज के ब्यौरे, वार्षिक आधार पर तथा जब कभी भी उनमें बदलाव हो, प्रकट करें:

- क) सीधे नातेदार
- ख) वे व्यक्ति जिनके साथ ऐसे पदाभिहित व्यक्ति (व्यक्तियों) का महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध हो
- ग) उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे फोन, मोबाइल और सैल नंबर

इसके अलावा, उन शैक्षणिक संस्थाओं के नाम, जहाँ से पदाभिहित व्यक्तियों ने स्नातक किया हो, और जिनके यहाँ वे पहले कार्य करते थे उनके नाम भी एक बार प्रकट किए जाएँ।

**स्पष्टीकरण –** शब्दों “महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध” का अर्थ है – वह संबंध जिसमें कोई व्यक्ति ठीक पहले के बारह महीनों के दौरान पदाभिहित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भुगतान (जैसे ऋण या उपहार के माध्यम से मिलने वाला भुगतान), जो ऐसे पदाभिहित व्यक्ति की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर हो, प्राप्त करता हो, किंतु इसमें वे संबंध शामिल नहीं होंगे जिनमें भुगतान समुचित दूरी कायम रखते हुए किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांजैक्शन्स) के आधार पर किया जाता हो।

14. म्यूचुअल फंड के यहाँ ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसके अनुसार यह निर्धारित किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को संवेदनशील लेनदेन (ट्रांजैक्शन्स) से संबंधित आंतरिक जानकारी कैसे दी जाएगी और कैसे उसे आंतरिक जानकारी प्राप्त करने से जुड़े कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा, और साथ ही ऐसी जानकारी के दुरुपयोग या अनधिकृत उपयोग को रोकने के दायित्व से भी अवगत कराया जाएगा।”

#### V. अनुसूची-ग में,

- i. खंड 8 में, शब्दों तथा चिह्न “कॉण्ट्रा ट्रेड नहीं करेगा।” के बाद और शब्दों “अनुपालन अधिकारी” से पहले निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में लेनदेन (डील) करने के मामले में, आचार संहिता में वह अवधि [जो किसी भी दशा में दो महीनों से कम की न हो] निर्धारित की जाएगी, जिसके भीतर पदाभिहित व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड / आस्ति प्रबंध कंपनी / न्यासियों (ट्रस्टी) का संबद्ध व्यक्ति हो और जिसे ऐसे म्यूचुअल फंड की यूनिटों में व्यापार (ट्रेडिंग) करने की अनुमति दी गई हो] “कॉण्ट्रा ट्रेड” नहीं करेगा।”

ii. खंड 11 के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“11क. म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में लेनदेन (डील) करने के मामले में, आचार संहिता में यह उल्लेख किया जाएगा कि यदि मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वासिक एंटीटी (फिड्यूशरी) [जिससे विनियम 5च के उप-विनियम (2) के तहत आचार संहिता बनाना अपेक्षित हो] द्वारा यह पाया जाए कि इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसा मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या ऐसी वैश्वासिक एंटीटी उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को उसी रूप में और उसी प्रकार देगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./428/2022-23]

### पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85 द्वारा, 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
  2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात्,-
    - i. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59 द्वारा,
    - ii. 21 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02 द्वारा,
    - iii. 25 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/23 द्वारा,
    - iv. 17 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/32 द्वारा,
    - v. 17 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/23 द्वारा,
    - vi. 29 अक्टूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/38 द्वारा,
    - vii. 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/17 द्वारा,
    - viii. 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/37 द्वारा,
- संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 24th November, 2022

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/108.**—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of section 11 and clauses (d) and (e) of section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on such date as the Board may by notification in the Official Gazette, appoint.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015,-
  - I. in regulation 2,
    - i. in sub-regulation (1),
      - a. in clause (i), the words “*except units of a mutual fund*” shall be omitted.
      - b. in clause (1), after the word and symbol “*subscribing,*” and before the word “*buying*” the words and symbol “*redeeming, switching,*” shall be inserted and after the word and symbol “*subscribe,*” and before the word “*buy*”, the words and symbol “*redeem, switch,*” shall be inserted.
  - II. in regulation 7A, in clause (d),
    - i. in sub-clause (iv), the word “*and*” shall be omitted.
    - ii. After sub-clause (iv) and before sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely,-
 

*“iv(a) regulations 5A to 5G of these regulations; and”*
  - III. after Chapter II and before Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely,-

**“CHAPTER – II A**

**RESTRICTIONS ON COMMUNICATION IN RELATION TO AND TRADING BY INSIDERS IN THE UNITS OF MUTUAL FUNDS.**

**Applicability**

5A. (1) *The provisions of this Chapter shall apply only in relation to the units of a mutual fund.*

(2) *All the provisions of Chapter IIIA and V shall also apply in relation to the units of a mutual fund.*

**Definitions.**

5B.(1) *For the purpose of this Chapter,*

(a) *“associate” shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Mutual funds) Regulations, 1996;*

(b) *“connected person” shall mean:*

(i) *any person who is or has during the two months prior to the concerned act been associated with the mutual fund, asset management company and trustees, directly or indirectly, in any capacity including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a director, officer or employee of the asset management company and trustee or holds any position including a professional or business relationship with the mutual fund or asset management company or the trustees, whether temporary or permanent, that allows such a person, direct or indirect access to unpublished price sensitive information or is reasonably expected to allow such access;*

(ii) *Without prejudice to the generality of the foregoing, the persons falling within the following categories shall be deemed to be connected persons unless the contrary is established,*

(a) *an immediate relative of connected persons specified in clause (i); or*

(b) *Sponsor, holding company or associate company or subsidiary company of the Sponsor or Asset management company and Trustees; or*

(c) Board of Directors and key management personnel of sponsor of the mutual fund; or

(d) Directors or employees of registrar and share transfer agents, custodians or valuation agencies of the mutual fund who have access or are reasonably expected to have access to unpublished price sensitive information relating to a mutual fund scheme or its units in the course of business operations; or

(e) an official or an employee of fund accountant providing services to a mutual fund who have access or are reasonably expected to have access to unpublished price sensitive information relating to a mutual fund scheme or its units in the course of business operations; or

(f) an official or an employee of a self-regulatory organization recognised or authorized by the Board; or

(g) an official of a stock exchange for dissemination of information; or

(h) Directors or employees of auditor, legal advisor or consultants of the mutual fund or asset management company who have access or are reasonably expected to have access to unpublished price sensitive information relating to a mutual fund scheme or its units in the course of business operation; or

(i) an intermediary as specified in section 12 of the Act or an employee or director thereof who have access or are reasonably expected to have access to unpublished price sensitive information relating to a mutual fund scheme or its units in the course of business operations; or

(j) a banker of the mutual fund or asset management company; or

(k) a concern, firm, trust, HUF, company or association of persons wherein a director of an asset management company and Trustees or his immediate relative or banker of the company, has more than ten per cent of the holding or interest;

(c) "generally available information" means information that is made available to the unitholders or made accessible to the public on a non-discriminatory basis;

*NOTE: Generally available information is intended to be defined to crystallize and appreciate its meaning. Information published on the website of a stock exchange would ordinarily be considered generally available.*

*Explanation : The asset management companies/trustees shall immediately disseminate all material information on the platform of the stock exchange or in any other manner as may be specified by the Board, whenever the same needs to be communicated to the unitholders or a public notice needs to be made;*

(d) "insider" means any person who is:

i. a connected person; or

ii. in possession of or having access to unpublished price sensitive information pertaining to a scheme;

(e) "systematic transactions" in the units of mutual fund are those transactions which are automatically triggered for execution on a periodic basis as instructed by the investor including Systematic Investment Plans, Systematic Transfer Plans or Systematic Withdrawal Plans;

(f) "unpublished price sensitive information" shall mean any information, pertaining to a scheme of a mutual fund which is not yet generally available and which upon becoming generally available, is likely to materially impact the net asset value or materially affect the interest of unit holders and shall include the instances where there is a likelihood of:

i. a change in the accounting policy;

ii. a material change in the valuation of any asset or class of assets;

- iii. *restrictions on redemptions, winding up of scheme(s);*
- iv. *creation of segregated portfolio;*
- v. *the triggering of the swing pricing framework and the applicability of the swing factor;*
- vi. *material change in the liquidity position of the concerned mutual fund scheme(s);*
- vii. *default in the underlying securities which is material to the concerned mutual fund scheme(s).*

**Note:** *All other definitions in Chapter-I shall mutatis mutandis be applicable to transactions in the units of mutual funds.*

**Communication or procurement of unpublished price sensitive information and maintenance of a structured digital data base.**

5C. (1) *No insider shall communicate, provide, or allow access to any unpublished price sensitive information to any person including other insiders except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.*

**NOTE:** *This provision is intended to cast an obligation on all insiders who are essentially persons in possession of unpublished price sensitive information to handle such information with care and to deal with the information with them when transacting their business strictly on a need-to-know basis. It is also intended to lead to organisations developing practices based on need-to-know principles for treatment of information in their possession.*

(2) *No person shall procure from or cause the communication by any insider of unpublished price sensitive information, except in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.*

**NOTE:** *This provision is intended to impose a prohibition on unlawfully procuring possession of unpublished price sensitive information. Inducement and procurement of unpublished price sensitive information not in furtherance of one's legitimate duties and discharge of obligations would be illegal under this provision.*

(3) *The board of directors of an asset management company with the approval of the Trustees shall make a policy for determination of "legitimate purposes".*

*Explanation – For the purpose of illustration, the term "legitimate purpose" shall include sharing of unpublished price sensitive information in the ordinary course of business by an insider with Trustees, Registrars and Share Transfer Agents, Custodians, Valuation Agencies, Fund Accountants, Association of Mutual funds of India, Credit Rating Agencies, legal advisors, auditors or other advisors or consultants, except where such sharing has been carried out to evade or circumvent the prohibitions of these regulations.*

(4) *Any person in receipt of unpublished price sensitive information pursuant to a "legitimate purpose" shall be considered an "insider" for purposes of this chapter and due notice shall be given to such persons to maintain confidentiality of such unpublished price sensitive information in compliance with these regulations.*

(5) *For the purpose of sub-regulation (4), the board of directors of an asset management company shall require the parties to execute agreements to contract confidentiality and non-disclosure obligations on the part of such parties and such parties shall keep information so received confidential, except for the purpose specified herein and shall not otherwise deal in the units of a mutual fund when in possession of unpublished price sensitive information.*

(6) *The board of directors or head(s) of the organisation of every person required to handle unpublished price sensitive information shall ensure that a structured digital database is maintained containing the nature of unpublished price sensitive information and the names of such persons who have shared the information and also the names of such persons with whom information is shared under this regulation along with the Permanent Account Number or any other identifier authorized by law where Permanent Account Number is not available. Such database shall not be outsourced*

and shall be maintained internally with adequate internal controls and checks such as time stamping and audit trails to ensure non-tampering of the database.

(7) The board of directors or head(s) of the organisation of every person required to handle unpublished price sensitive information shall ensure that the structured digital database is preserved for a period of not less than eight years after completion of the relevant transactions and in the event of receipt of any information from the Board regarding any investigation or enforcement proceedings, the relevant information in the structured digital database shall be preserved till the completion of such proceedings.

**Trading when in possession of unpublished price sensitive information.**

5D. (1) No insider shall trade in the units of a scheme of a mutual fund, when in possession of unpublished price sensitive information, which may have a material impact on the net asset value of a scheme or may have a material impact on the interest of the unit holders of the scheme:

**Explanation** –The dealings of a person in the units of a mutual fund when in possession of unpublished price sensitive information, shall be presumed to have been motivated by the knowledge and awareness of such information in his possession:

Provided that the insider may prove his innocence by demonstrating the circumstances including the following: –

- (i) the transaction is an off-market inter-se transfer between insiders who were in possession of the same unpublished price sensitive information and both parties had made a conscious and informed trade decision:

Provided that such off-market trades shall be reported by the insiders to the asset management company within two working days. Every asset management company shall notify the particulars of such trades to the stock exchange or in any other manner as may be specified by the Board within two trading days from receipt of the disclosure or from becoming aware of such information;

- (ii) such transaction in question was carried out pursuant to a statutory or regulatory obligation including subscription or investment in mutual fund units pursuant to the mandatory requirement specified by the Board for “Alignment of interest of Designated Employees of asset management companies with the Unit holders of the mutual fund schemes”;
- (iii) such transaction in question is triggered by systematic transactions, where such systematic transactions are registered at least two months prior to such transaction;
- (iv) such transaction in question is triggered by irrevocable trading plans, where such plan has been approved by the Compliance Officer and disclosed on the Stock Exchange platform or in any other manner as may be specified by the Board, at least sixty days before the commencement of trades:

Provided that the trading period for each plan shall be at least six months with no overlapping of different trading plans:

Provided further that for the trading as per the approved plan, no requirements/ norms related to pre-clearance of trading or closure period or contra trade shall be applicable.

(2) In the case of connected persons, the onus of establishing that they were not in possession of unpublished price sensitive information, shall be on such connected persons and in other cases, the onus would be on the Board.

**Disclosures by certain persons**

5E. (1) An asset management company shall, on such date as may be specified by the Board and on a quarterly basis thereafter, disclose the details of holdings in the units of its mutual fund schemes, on an aggregated basis, held by the Designated Persons of asset management company, trustees and their immediate relatives on the platform of Stock Exchanges or in any other manner as may be specified by the Board.

(2) Details of all the transactions in the units of its own mutual funds, above such thresholds as may

be specified by the Board, executed by the Designated Persons of asset management company, trustees and their immediate relatives shall be reported by the concerned person to the Compliance Officer of asset management company within two business days from the date of transaction:

Provided that with respect to systematic transactions through any mutual fund scheme,

Designated Persons may report the same only at the time of making the first installment of the transaction along with the period of such transaction and on modifications thereof, if any:

Provided further that no reporting is required if such transaction was pursuant to

a. subscription/investment in the mutual fund units pursuant to mandatory requirement specified by Board for "Alignment of interest of Key Employees ('Designated Employees') of Asset Management Companies with the Unitholders of the mutual fund Schemes" or otherwise, where separate records are maintained by the Asset management company in this regard. Such transactions may be governed by Circulars/guidelines issued by the Board from time to time;

b. Any trading in overnight schemes, Index funds and Exchange Traded Funds.

(3) Transactions mentioned in sub-regulation (2), shall be disclosed by the asset management company on Stock Exchange or any other manner as may be specified by the Board within two business days of receipt of the same.

(4) The above disclosures shall be made in such form and such manner as may be specified by the Board from time to time.

### **Code of Conduct**

5F. (1) The board of directors of every asset management company shall ensure that the chief executive officer or managing director shall formulate a code of conduct with their approval to regulate, monitor and report dealings in mutual fund units by the Designated Persons and immediate relatives of the Designated Persons towards achieving compliance with these regulations and , adopting the minimum standards set out in **Schedule B1** to these regulations, without diluting the provisions of these regulations in any manner.

(2) The board of directors or head(s) of the organisation, of every other person who is required to handle unpublished price sensitive information relating to a mutual fund scheme or its units in the course of business operations shall formulate a code of conduct to regulate, monitor and report trading by their Designated Persons and immediate relative of Designated Persons towards achieving compliance with these regulations, adopting the minimum standards set out in **Schedule C** to these regulations, without diluting the provisions of these regulations in any manner.

**Explanation** - Professional firms such as auditors, accountancy firms, law firms, analysts, consultants, banks, valuation agencies, fund accountants, assisting or advising Asset Management Companies, Trustees, Registrars and share transfer agents, Custodians and Credit Rating Agencies shall be collectively referred to as "fiduciaries" for the purpose of **Schedule C** of these regulations.

(3) Every asset management company, intermediary and other persons formulating a code of conduct shall identify and designate a compliance officer to administer the code of conduct and other requirements under these regulations.

### **Designated Person**

5G. (1) The board of directors of the asset management company and trustees shall in consultation with the compliance officer specify the Designated Persons to be covered by the code of conduct on the basis of their role and function in the organisation and the access that such role and function would provide to unpublished price sensitive information in addition to seniority and professional designation and shall include:

- i. Head of the asset management company (designated as Chief Executive Officer/Managing Director/President or by any other name),
- ii. Directors of the asset management company or the trustee company,
- iii. Chief Investment Officer, Chief Risk Officer, Chief Operation Officer, Chief Information

*Security Officer, Fund Managers, Dealers, Research Analysts, all employees in the Fund Operations Department, Compliance Officer and Heads of all divisions and/or departments or any other employee as designated by the asset management company and/or trustees.*

*Explanation :Non-Executive Directors of the asset management company/trustee company or trustees who are in possession of / have access to any "unpublished price sensitive information" , shall also be deemed to be Designated Persons.*

*(2) Every other Intermediary and other persons shall in consultation with the compliance officer specify the Designated Persons to be covered by the code of conduct on the basis of their role and function in the organisation and the access that such role and function would provide to unpublished price sensitive information in addition to seniority and professional designation.*

### **Institutional Mechanism for Prevention of Insider trading.**

*5H. (1) The Chief Executive Officer / Managing Director of an asset management company with the approval of the trustee or such other analogous person of an intermediary or fiduciary, shall put in place adequate and effective system of internal controls to ensure compliance with the requirements given in these regulations to prevent insider trading. These internal controls shall include the following:*

- (a). All employees who have access to unpublished price sensitive information are identified as Designated Persons;*
- (b). All the unpublished price sensitive information shall be identified and its confidentiality shall be maintained as per the requirements of these regulations;*
- (c). Adequate restrictions shall be placed on communication or procurement of unpublished price sensitive information as required by these regulations;*
- (d). Lists of all employees and other persons with whom unpublished price sensitive information is shared shall be maintained and confidentiality agreements shall be signed or notice shall be served to all such employees and persons;*
- (e). Periodic process review to evaluate effectiveness of such internal controls;*
- (f). Compliance of all other relevant requirements specified under these regulations.*

*(2) The board of directors of an asset management company and the board of directors or head(s) of the organisation of intermediaries and fiduciaries, shall also ensure that the Chief Executive Officer or the Managing Director or such other analogous person complies with these regulations.*

*(3) The Audit Committee of an asset management company or such other analogous body of an intermediary or fiduciary shall review compliance with the provisions of these regulations at least once in a financial year and shall verify that the systems for internal control are adequate and are operating effectively.*

*(4) Every asset management company shall with the approval of the trustees formulate written policies and procedures for inquiry in case of leak of unpublished price sensitive information or suspected leak of unpublished price sensitive information and accordingly initiate appropriate inquiries on such leak of unpublished price sensitive information or suspected leak of unpublished price sensitive information and promptly inform the Board promptly of such leaks, inquiries and result of such inquiries.*

*(5) An asset management company shall with the approval of the trustees have a whistleblower policy that is brought to the notice of their employees to enable them to report instances of leak of such unpublished price sensitive information .*

*(6) In case an inquiry has been initiated by an asset management company/ trustees in case of leak of unpublished price sensitive information or suspected leak of unpublished price sensitive information, the relevant intermediaries and fiduciaries shall co-operate with the asset management*

*company/ trustees in connection with such inquiry conducted by the asset management company/ trustees.”*

IV. After Schedule B, the following Schedule shall be inserted namely,-

**“SCHEDULE B1**

**(See Regulation 5F of Chapter - IIA)**

***Minimum Standards of Code of Conduct for Mutual Funds to regulate, monitor and report trading by the Designated Persons in the units of own mutual fund schemes***

*1. The compliance officer shall report to the board of directors of asset management company and provide reports to the Chairman of the Audit Committee of the asset management company and to the trustees, at such frequency as may be stipulated by the board of directors, but in any case not less than once in a year.*

*2. The information shall be handled within the organisation on a need-to-know basis and no unpublished price sensitive information shall be communicated to any person except in furtherance of legitimate purpose, performance of duties or discharge of legal obligations. The code of conduct shall contain norms for appropriate Chinese Walls procedures and processes for permitting any designated person to “cross the wall”.*

*3. Designated Persons and immediate relatives of designated persons in the organisation shall be governed by an internal code of conduct governing dealings in units of the mutual fund.*

*4. (1) Designated persons may deal in the units of the mutual fund subject to compliance with these regulations. The compliance officer of the asset management company shall determine the closure period during which a Designated Person or class of Designated Persons can reasonably be expected to have possession of unpublished price sensitive information. Such closure period shall be imposed in relation to such schemes to which such unpublished price sensitive information relates. During such time, any requests to transact in the units of the mutual funds by the Designated Persons and/or their immediate relatives shall not be processed by the asset management company.*

*(2) The closure period restrictions mentioned in sub-clause (1) shall not apply in respect of transactions specified in clauses (i) to (iii) of the proviso to sub-regulation (1) of regulation 5D and in respect to the pledge of mutual fund units for a bonafide purpose, subject to pre-clearance by the compliance officer and compliance with the other requirements, if any, as may be specified by the Board.*

*5. The timing for re-opening of the closure period shall be determined by the compliance officer taking into account various factors including the unpublished price sensitive information in question becoming generally available and being capable of assimilation by the market.*

*6. When the closure period is not applicable, trading in the mutual fund units by Designated Persons and their immediate relatives including at the time of initiation of systematic transactions shall be subject to pre-clearance by the compliance officer, if the value of the proposed trades is above such thresholds (separate thresholds for systematic transactions and lumpsum payments) as the Board of AMCs may stipulate:*

*Provided that for transactions in units by the Designated Persons pursuant to the mandatory requirement under ‘Alignment of interest of Key Employees (‘Designated Employees’) of asset management companies with the unit holders of the mutual fund schemes’ or otherwise shall be as specified by the Board in this regard:*

*Provided further that the requirement of pre-clearance of trades by Designated Persons shall not apply for trading in Overnight Schemes, Index funds and Exchange Traded Funds.*

*7. Prior to approving any trades, the compliance officer shall be entitled to seek a declaration to the effect that the applicant for pre-clearance is not in possession of any unpublished price sensitive information with due regard to whether any such declaration is reasonably capable of being rendered inaccurate.*

8. *The code of conduct formulated by the chief executive officer or managing director of the asset management company shall specify any reasonable timeframe, which in any event shall not be more than seven business days, within which trades that have been pre-cleared have to be executed by the Designated Person, failing which fresh pre-clearance shall be required for the trades to be executed.*

9. *The code of conduct shall also specify the period, which in any event shall not be less than two months, within which a Designated Person who is permitted to trade shall not execute a contra trade. The compliance officer may be empowered to grant relaxation from the strict application of such restriction for reasons to be recorded in writing provided that such relaxation does not violate these regulations or other requirements specified by the Board. In case a contra trade is executed, inadvertently or otherwise, in violation of such a restriction, the profits or loss avoided from such trade shall be liable to be disgorged by the asset management company and credited under intimation to the Board, to the Investor Protection and Education Fund established by the Board under the Act:*

*Provided that trading restrictions imposed for contra trade shall not be applicable for Overnight Schemes.*

10. *The code of conduct shall also stipulate such formats as the board of directors deem necessary for making applications for reporting of trades executed and for reporting level of holdings in units of mutual funds at such intervals as may be determined as being necessary to monitor compliance with these regulations.*

11. *The code of conduct shall stipulate the internal sanctions and disciplinary actions, including wage freeze, suspension, recovery, etc., that may be imposed by the asset management company for the contravention of the code of conduct. Any amount collected under this clause shall be disgorged by the asset management company and credited under intimation to the Board, to the Investor Protection and Education Fund established by the Board under the Act.*

12. *The code of conduct shall specify that in case it is observed by the asset management company that there has been a violation of these regulations, it shall promptly inform to the stock exchange(s), in such form and such manner as may be specified by the Board from time to time.*

13. *Designated Persons shall be required to disclose names and Permanent Account Number or any other identifier authorized by law of the following persons to the mutual fund on an annual basis and as and when the information changes:*

- a) immediate relatives*
- b) persons with whom such Designated Person(s) shares a material financial relationship*
- c) Phone, mobile and cell numbers which are used by them*

*In addition, the names of educational institutions from which Designated Persons have graduated and names of their past employers shall also be disclosed on a one time basis.*

**Explanation** – *The term “material financial relationship” shall mean a relationship in which one person is a recipient of any kind of payment such as by way of a loan or gift from a Designated Person during the immediately preceding twelve months, equivalent to at least 25% of the annual income of such Designated Person but shall exclude relationships in which the payment is based on arm’s length transactions.*

14. *Mutual funds shall have a process that would determine how an individual is brought ‘inside’ to access sensitive transactions and shall be made aware of the duties and responsibilities attached to the receipt of such Inside Information and the liability that is attached to the misuse or unwarranted use of such information.”*

#### V. In Schedule C,

i. In Clause 8 after the words and symbol “*contra trade.*”, and before the words “*The compliance officer*” the following words and symbol shall be inserted, namely,-

*“In case of dealing in the units of mutual funds, the code of conduct shall specify the period, which in any event shall not be less than two months, within which a Designated*

*Person who is a connected person of the mutual fund/asset management company/trustees and is permitted to trade in the units of such mutual fund, shall not execute a contra trade.”*

ii. After clause 11, the following clause shall be inserted, namely,-

*“11A. In case of dealing in the units of mutual funds, the code of conduct shall specify that in case it is observed by the intermediary or fiduciary required to formulate a code of conduct under sub-regulation (2) of regulation 5F, that there has been a violation of these regulations, such intermediary or fiduciary shall promptly inform the same to the stock exchange(s) in such form and such manner as may be specified by the Board from time to time.”*

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./428/2022-23]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was subsequently amended on, -
  - i. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/59.
  - ii. January 21, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/02.
  - iii. July 25, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/23.
  - iv. September 17, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/32.
  - v. July 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/23.
  - vi. October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/38.
  - vii. April 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/17.
  - viii. August 05, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/37.